

कार्यालय मुख्य अभियंता, बोधी
जल संसाधन विभाग
स्वारा भवन, लिंक रोड न0 3, कोलार परिसर भोपाल
eincbodhi@gmail.com

पत्र क्र. 2559/बा.सु/51/19/प्री/पोस्ट मानसून/2020 भोपाल, दिनांक 11/09/2020
प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
.....
.....

(म.प्र.)

विषय:- बांधो की सुरक्षा के आंकलन हेतु समिति का गठन।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 2487/बा.सु/51/19/प्री/पोस्ट मानसून/2020
भोपाल, दिनांक 07/09/2020

उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के समस्त बड़े बांधो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है:-

1. कछार के मुख्य अभियंता, 2. संबंधित अधीक्षण यंत्री, 3. संबंधित कार्यपालन यंत्री

समिति निरीक्षण उपरांत विस्तृत रिपोर्ट एवं सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। समिति का दायित्व होगा कि आपके कछार के अंतर्गत आने वाले बांधो में गेटेड स्पिलवे एवं Energy Dissipation की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट एवं सुरक्षा प्रमाण पत्र 10 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यदि मानसून के दौरान गेटेड बांधो से फ्लड नियंत्रित किया गया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट एवं उससे बांध के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में हुई क्षति का भी आकलन करना सुनिश्चित करेंगे।

(जी. पी. सीनी)

मुख्य अभियंता, बोधी
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11/09/2020

पृष्ठ क्र. 9560/बा.सु/51/19/प्री/पोस्ट मानसून/2020
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, बांध सुरक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जी. पी. सीनी)

मुख्य अभियंता, बोधी
जल संसाधन विभाग, भोपाल